

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**दिसम्बर,2015 सत्र में दिये गये आश्वासन**

**किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग**

**दिनांक: 14-12-2015**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1047	तारांकित प्रश्न सं.4 (प्रश्न क्रं.1669) दि. 14-12-2015 (श्री सचिन यादव)	(1) फसल बीमा की प्रीमियम राशि जमा कराने वाले कृषकों को बीमा पालिसी प्रमाण पत्र प्रदाय किये जाने की व्यवस्था की जाना। (2) जिला सहकारी बैंकों से ऋण लेने वाले कृषकों के खाते से फसल बीमा जमा अंशपूंजी/प्रीमियम राशि काटे जाने के साथ कृषकों को उसकी रसीद प्रदाय किये जाने की व्यवस्था की जाना।	(1) हम इस पर विचार करेंगे। (2) रसीद की व्यवस्था हम करेंगे, उसके निर्देश आज ही जारी हो जाएंगे। मैं इसको लागू करूंगा अंश-पूंजी के लिये भी, किसानों की प्रीमियम की राशि के लिये भी।		
1048	तारांकित प्रश्न सं.10 (प्रश्न क्रं.1828) दि. 14-12-2015 (श्री रामनिवास रावत)	प्रदेश में घाटे में संचालित शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों का ऑडिट करा कर कारणों का परीक्षण कर घाटे उभारना।	जो प्रक्षेत्र घाटे में हैं, उनके हम ऑडिट करा रहे हैं, उसके कारणों पर जाएंगे और जिन कारणों वह घाटे में हैं, उसको दूर करने का हम प्रयास करेंगे।		
1049	तारांकित प्रश्न सं.11 (प्रश्न क्रं.286) दि. 14-12-2015 (श्री बाला बच्चन)	बड़वानी एवं खरगौन जिलों में आत्मा परियोजना में व्याप्त अनियमितता की उच्चस्तरीय जांच कराई जाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	मैं किसी वरिष्ठ अधिकारी को भेजकर इसकी जांच करवा लूंगा।		
1050	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.27 (प्रश्न क्रं.772) दि. 14-12-2015 (श्रीमती ममता मीना)	कृषि उपजमण्डी समिति गुना में दिनांक 26-07-2014 के प्रस्ताव क्र. 22 पारित किये बिना ही नियम विरुद्ध कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	1. शेष के संबंध में जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 2. जांच उपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी। 3. जांच उपरांत दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1051</b>	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.95 (प्रश्न क्रं.1702) दि. 14-12-2015 (श्री संजय शर्मा)	नरसिंहपुर जिले के बोहानी में गन्ना अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की जाना।	1. भूमि हस्तांतरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 2. केन्द्र की स्थापना संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
<b>1052</b>	अतारांकित प्रश्न सं.19 (प्रश्न क्रं.692) दि. 14-12-2015 (श्री विजय सिंह सोलंकी)	वर्ष 2014 के तत्कालीन परियोजना संचालक आत्मा जिला खरगौन के विरुद्ध की गई शिकायतों की जांच कर जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	1. जांच अधिकारी संयुक्त संचालक इंदौर को नियुक्त किया गया। जिसका जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है। 2. दिनांक 09.03.2015 के द्वारा जांच अधिकारी, कलेक्टर जिला खरगोन को सौंपी गई। जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।		
<b>1053</b>	अतारांकित प्रश्न सं.41 (प्रश्न क्रं.1104) दि. 14-12-2015 (श्री यादवेन्द्र सिंह)	फर्म शारदा दाल मिल पुरैना कटनी की अनुज्ञप्ति निरस्त करने एवं आर.आर.सी. जारी किये जाने हेतु मंडी समिति कटनी की बैठक दिनांक 15.10.2015 में नहीं रखे जाने के लिए जिम्मेदारों के विरुद्ध नियमानुसार समय-सीमा में कार्यवाही की जाना।	उक्त अवधि में पदस्थ तत्कालीन सचिव श्री के.सी. जैन, श्री एस.के. द्विवेदी, श्री राजेश गोयल कृषि उपज मंडी समिति कटनी उत्तरदायी है, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।		
<b>1054</b>	अतारांकित प्रश्न सं.53 (प्रश्न क्रं.1256) दि. 14-12-2015 (श्री रामपाल सिंह)	शहडोल जिले में वर्ष 2010 से अब तक नलकूप योजनान्तर्गत शेष पंजीकृत किसानों को अनुदान राशि भुगतान के प्रकरणों की जांच समय-सीमा में की जाकर भुगतान की कार्यवाही किया जाना।	शेष अनुदान राशि के भुगतान प्रकरणों में जांच की जावेगी। जांच निष्कर्ष के पश्चात गुण दोषों के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।		
<b>1055</b>	अतारांकित प्रश्न सं.148 (प्रश्न क्रं.2023) दि. 14-12-2015 (श्री यशपालसिंह सिसौदिया)	मंदसौर कृषि महाविद्यालय में रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र किया जाना।	शेष रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**दिसम्बर,2015 सत्र में दिये गये आश्वासन**

**खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**

**दिनांक: 14-12-2015**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1056</b>	तारांकित प्रश्न सं.1 (प्रश्न क्रं.1677) दि. 14-12-2015 (श्रीमती योगिता नवलसिंग बोरकर)	1. खंडवा जिले की पंधाना वि.स. क्षेत्र के जामलीखुर्द, बावली, विलनखेड़ी एवं भीलखेड़ी ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्राम बड़िया, सकना एवं सालई के पात्र हितग्राहियों को खाद्य पर्ची वितरण न किये जाने की जांच एवं कार्यवाही।  2. ग्राम कुमठी और बलरामपुर पंचायत में गरीबी-रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित/जनजाति के वर्ग के हितग्राहियों की खाद्य पर्ची ब्लाक करने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दौषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	1. जो तीन गांव के नाम बताये है, मैं अधिकारी भेजकर एक बार जांच करा देता हूँ।  2. हम आपकी बात पर विश्वास करते हुए दो दिन में अधिकारी भेजकर जांच करवा लेंगे तो निराकरण हो जायेगा।		

\*\*\*\*\* यह आश्वासन त्रुटिवश तकनीकी शिक्षा विभाग को चला गया था, किन्तु इसका संबंध स्कूल शिक्षा विभाग से है ।  
विभाग को बदल दिया गया है \*\*\*\*\*

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**दिसम्बर,2015 सत्र में दिये गये आश्वासन**

स्कूल शिक्षा विभाग

दिनांक: 14-12-2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1057	ध्यानाकर्षण (सूचना क्र.1) दि. 14-12-2015 (श्री आरिफ अकील)	(1) प्रदेश के शासकीय हाईस्कूलों एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में कम्प्यूटर लेब की व्यवस्था की जाना। (2) भोपाल के एम.पी. नगर जोन-2 में संचालित आई.ए.एन.टी. कम्प्यूटर एजुकेशन संस्था द्वारा नेटवर्किंग साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर कोर्स का प्रशिक्षण देने एवं नौकरी दिलाने के नाम पर छात्र/छात्राओं से ठगी की जाने की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना एवं इन संस्थाओं की गतिविधियों पर रोक लगाई जाना।	1. इस वर्ष के अंत तक कम्प्यूटर लेब लगाने की कार्यवाही प्रचलित है। 2. मैं गृह विभाग को पत्र लिख दूंगा और पत्र के माध्यम से कोशिश करूंगा कि इस शिकायत की जांच हो। 3. उच्च शिक्षा विभाग और इंफार्मेशन टेक्नालॉजी विभाग के माध्यम से कोई हल निकालने का भी प्रयास करेंगे। 4. आप लिखकर पहुंचा दें, मैं कार्यवाही करा दूंगा।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**दिसम्बर,2015 सत्र में दिये गये आश्वासन**

पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग

दिनांक: 14-12-2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1058	तारांकित प्रश्न सं.3 (प्रश्न क्रं.2717) दि. 14-12-2015 (श्री शंकर लाल तिवारी)	सतना जिले में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्रचार-प्रसार मद में प्रचार सामग्री मुद्रण में की गई अनियमितता की कराई गई जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना एवं की गई कार्यवाही में प्रश्नकर्ता मा. सदस्य को सात दिवस पश्चात् अवगत कराया जाना।	1. जिला पंचायत के सीईओ, एडिशनल सीईओ उनके विरुद्ध भी हमने विभागीय जांच प्रारंभ करने का निर्णय किया है और हम जल्दी से जल्दी वहां से हटाकर विभागीय जांच शुरू करवा रहे हैं। 2. विभागीय जांच शुरू कर विभागीय जांच के बाद में जो भी निष्कर्ष आयेगा उन पर प्रशासनिक कार्यवाही भी होगी। 3. मैं 7 दिन के पश्चात सदस्य को अवगत करवा दूंगा इसके बारे में।		
1059	तारांकित प्रश्न सं.8 (प्रश्न क्रं.1031) दि. 14-12-2015 (श्री रामसिंह यादव)	शिवपुरी जिले के बदरवास विकास खण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत धामनटूक में अप्रैल 2010 से सितम्बर 2014 तक की अवधि में निर्माण कार्य एवं हितग्राही मूलक कार्यों में की गई अनियमितता की जांच में दोषियों के विरुद्ध नियमनुसार कार्यवाही की जाना।	1. उसकी एक सप्ताह में जानकारी लेकर कार्यवाही सुनिश्चित कराएंगे। 2. इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने गड़बड़ी की होगी उनकी नौकरी लेंगे हम।		
1060	तारांकित प्रश्न सं.15 (प्रश्न क्रं.724) दि. 14-12-2015 (श्री राजेश सोनकर)	इंदौर जिले के सांवेर वि.स. क्षेत्र अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़को के लंबित प्रस्ताव की स्वीकृति दी जाना।	निर्माण कार्य का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1061	तारांकित प्रश्न सं.18 (प्रश्न क्रं.825) दि. 14-12-2015 (श्रीमती शीला त्यागी)	रीवा जिले के जनपद पंचायत गंगेव, नईगढ़ी, त्यौथर, जवा, सिरमाँर के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में नियम विरुद्ध पंच परमेश्वर मद की राशि से सौर ऊर्जा का कार्य किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	जांच समिति गठित कर की जा रही है।		
1062	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.12 (प्रश्न क्रं.551) दि. 14-12-2015 (डॉ. गोविन्द सिंह)	भिण्ड जिले की जनपद पंचायत लहार के अन्तर्गत इंदिरा/अंत्योदय मुख्यमंत्री आवास हेतु पात्र हितग्राहियों की स्वीकृत राशि का शीघ्र भुगतान किया जाना।	जिले से शेष हितग्राहियों की पूर्ण सूची प्राप्त कर राशि हस्तान्तरित की कार्यवाही की जा रही है।		
1063	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.20 (प्रश्न क्रं.681) दि. 14-12-2015 (श्री विजय सिंह सोलंकी)	जिला पंचायत खरगौन में वर्ष 2014 एवं 2015 में जनपद पंचायत कार्यालय से प्राप्त जांच प्रतिवेदनों के निष्कर्ष के आधार पर किये गये निर्णयानुसार सम्बन्धित दोषियों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाना।	18 जांच प्रतिवेदनों में पुलिस एफआईआर वर्ष 2014-15 से लंबित है।		
1064	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.50 (प्रश्न क्रं.1187) दि. 14-12-2015 (डॉ. गोविन्द सिंह)	श्री रमाकांत उपाध्याय, पंचायत समन्वय अधिकारी जिला पंचायत भिण्ड के विरुद्ध भ्रष्टाचार/अनियमितता की जांच निष्कर्षों के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	श्री उपाध्याय के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु लिखा गया।		
1065	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.69 (प्रश्न क्रं.1451) दि. 14-12-2015 (श्रीमती झूमा सोलंकी)	खरगौन जिले की भीकनगांव वि.स. क्षेत्र अन्तर्गत जनपद पंचायतों की बैठक पंचायतीराज अधिनियम अनुसार नहीं किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	जांच कर अग्रेत्तर कार्यवाही की जाएगी।		
1066	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.82 (प्रश्न क्रं.1580) दि. 14-12-2015 (श्री महेश राय)	सागर जिले की वि.स. क्षेत्र बीना अन्तर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना अन्तर्गत पात्र हितग्राहियों के स्वीकृत ऋण की अंतिम किश्त का भुगतान किया जाना।	जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा बैंको से समन्वय कर, शीघ्र अंतिम किश्त भुगतान हेतु प्रयास किये जायेंगे।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1067	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.83 (प्रश्न क्रं.1588) दि. 14-12-2015 (श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर)	जनपद पंचायत छतरपुर अन्तर्गत ग्राम पंचायत सरानी में वर्ष 2005-06 से 2009-10 एवं वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि में शासन की विभिन्न योजनाओं की निर्माण हेतु प्राप्त राशि का दुरुपयोग किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	1. उल्लेखित निर्माण कार्यों की जांच हेतु कमेटी गठित कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु 10 दिवस का समय नियत किया गया है। 2. जी हाँ। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही गुण-दोष के आधार पर की जायेगी।		
1068	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.98 (प्रश्न क्रं.1768) दि. 14-12-2015 (श्री नीलेश अवस्थी)	जिला पंचायत द्वारा जिला पंचायत जबलपुर में शासकीय योजनाओं/टी.एस.सी. में पद का दुरुपयोग कर शासकीय धन राशि का दुरुपयोग करने के संबंध में की गई शिकायत की जांच एवं जांच निष्कर्षों के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	प्रतिवेदन प्राप्त होने पर समस्त दोषियों पर कार्रवाई की जावेगी।		
1069	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.106 (प्रश्न क्रं.1846) दि. 14-12-2015 (श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक)	छतरपुर जिले की विधानसभा क्षेत्र विजावर अन्तर्गत स्वीकृत अधूरे निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण किया जाना।	अपूर्ण कार्यों को 06 माह में पूर्ण कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है।		
1070	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.115 (प्रश्न क्रं.1940) दि. 14-12-2015 (श्री बाला बच्चन)	जिला रायसेन जनपद पंचायत उदयपुरा की ग्राम पंचायत टिमरावन में निर्माण कार्यों में की गई अनियमितता की जांच में दोषी तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार समय-सीमा में कार्यवाही की जाना एवं दोषी तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर राशि की वसूली की जाना।	तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत श्री वृंदावन मीणा दोषी हैं। इसके विरुद्ध कार्यवाही प्रचलित है। तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध एफआईआर एवं राशि की वसूली की कार्यवाही एक माह में कर ली जायेगी।		
1071	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.131 (प्रश्न क्रं.2014) दि. 14-12-2015 (श्री यशपालसिंह सिसौदिया)	मन्दसौर जिले में वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में नियमानुसार ग्राम पंचायतों में स्वीकृत निर्माण कार्यों का अंकेक्षण कार्य नहीं कराने के जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना एवं शेष अंकेक्षण का कार्य समय-सीमा में पूर्ण कराया जाना।	संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। अंकेक्षण का कार्य वर्तमान में प्रचलन में है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1072	अतारांकित प्रश्न सं.1 (प्रश्न क्रं.54) दि. 14-12-2015 (श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा)	जिला अशोक नगर की मुंगावली वि.स. क्षेत्र में मनरेगा योजनान्तर्गत पशु शेड के अपूर्ण निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराया जाना।	1. सभी कार्य प्रगति पर हैं, जिन्हें शीघ्र पूर्ण करा दिया जावेगा। 2. अपूर्ण कार्यों को इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।		
1073	अतारांकित प्रश्न सं.70 (प्रश्न क्रं.1404) दि. 14-12-2015 (श्री शैलेन्द्र पटेल)	सीहोर जिले की इच्छावर वि.स. क्षेत्र में अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत पंचायत सचिवों के खातों में अंशदायी पेंशन जमा करने की कार्यवाही की जाना।	पंचायत सचिवों के खातों में अंशदायी पेंशन जमा किये जाने के संबंध में कार्यवाही प्रचलन में है।		
1074	अतारांकित प्रश्न सं.78 (प्रश्न क्रं.1467) दि. 14-12-2015 (श्री आरिफ अकील)	ग्वालियर जिले की नगरीय निकायों में शामिल ग्राम पंचायतों के सचिवों का संविलियन अथवा रिक्त सचिव पद वाली ग्राम पंचायतों में पदस्थापना की जाना।	कार्यवाही प्रचलन में है।		
1075	अतारांकित प्रश्न सं.110 (प्रश्न क्रं.1683) दि. 14-12-2015 (श्रीमती योगिता नवलसिंग बोरकर)	खण्डवा जिले की पंधाना वि.स. क्षेत्र के ग्राम मोकलगांव व कालपाट की क्षतिग्रस्त पुलिया का नवीन निर्माण कराया जाना।	कार्य की स्वीकृति की कार्यवाही विचाराधीन है।		
1076	अतारांकित प्रश्न सं.116 (प्रश्न क्रं.1757) दि. 14-12-2015 (श्री दिनेश राय)	बी.आर्.जी.एफ. योजनांतर्गत कार्यरत कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त किये जाने पर समस्त कर्मचारियों की सेवाएं अन्य विभाग में लिया जाना।	जी हों। विभाग में लिये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।		
1077	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.238) दि. 14-12-2015 (श्री सुन्दरलाल तिवारी)	रीवा जिले में एस.जी.आर.वाई. योजना अन्तर्गत वर्ष 2006 में आवंटित खाद्यान्न वितरण में की गई अनियमितता की शासन के नियम/निर्देशानुसार विधिवत् जांच कराई जाना एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	1. नियम/निर्देशों के प्रकाश में विधिवत् जांच कराई जा रही है। 2. जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर विधिसंगत निर्णय लिया जावेगा।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**दिसम्बर,2015 सत्र में दिये गये आश्वासन**

परिवहन विभाग

दिनांक: 14-12-2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1078	अन्य (क्रमांक 17) दि. 14-12-2015 ( )	<p>(1) जिला भिण्ड की तहसील मुख्यालय लहार में सप्ताह में एक दिन परिवहन कार्यालय का संचालन किया जाना।</p> <p>(2) श्योपुर जिले की तहसील मुख्यालय विजयपुर में सप्ताह में एक दिन परिवहन कार्यालय संचालित किया जाना।</p> <p>(3) जिला भिण्ड में स्वीकृत फूफ बैरियर को दीनापुर के स्थान पर फूफ में ही लगाया जाना।</p> <p>(4) जिला शिवपुरी के सिकन्दरा बैरियर पर अवैध रूप से तैनात लठैतधारियों द्वारा परिवहन विभाग के कर्मचारियों विशेषकर महिला कर्मचारी के साथ मारपीट की जाने की जांच कराई जाना एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।</p> <p>(5) सिवनी जिले की नेरोगेज रेल्वे लाईन को ब्राडगेज में परिवर्तन किये जाने से आवागमन की सुविधा बाधित होने से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए नई यात्री बसों के परमिट जारी किया जाना।</p>	<p>(1) मैं आज ही आर.टी.ओ. को निर्देश जारी करूंगा कि सप्ताह में एक दिन जाकर लहार कार्यालय में बैठे और जो भी काम वहां पर करें।</p> <p>(2) सप्ताह में एक दिन विजयपुर में भी</p> <p>(3) मा. सदस्य डॉ गोविन्द सिंह जी ने फूफ बैरियर के बारे में कहा है, मैं इसकी जांच के निर्देश दे रहा हूँ।</p> <p>(4) सिकन्दरा बैरियर की शिकायत की जांच के निर्देश दिए हैं, एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मौके पर जाएंगे, तीन दिन के अन्दर रिपोर्ट देंगे और जो भी दोषी अधिकारी होगा, उसके विरुद्ध कार्यवाही होगी।</p> <p>(5) जितने भी बसों के परमिट कहेंगे, उतने परमिट वहां के लिए जारी कर देंगे, आप बसों के आपरेटर लाईये उसी दिन परमिट जारी करवा देंगे।</p>		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**दिसम्बर,2015 सत्र में दिये गये आश्वासन**

लोक सेवा प्रबन्धन विभाग

दिनांक: 14-12-2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1079	अतारंकित प्रश्न सं.129 (प्रश्न क्रं.1866) दि. 14-12-2015 (श्री उमंग सिंघार)	धार जिला अन्तर्गत संचालित सभी लोक सेवा केन्द्रों पर जाति विशेष अभियान में आनलाईन किए गए जाति के फार्म का शेष राशि के शीघ्र भुगतान किया जाना।	शेष राशि के भुगतान हेतु कार्यवाही प्रचलन में है।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**दिसम्बर,2015 सत्र में दिये गये आश्वासन**

वाणिज्यिक कर विभाग

दिनांक: 14-12-2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1080	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.391) दि. 14-12-2015 (श्री चेतन्य कुमार काश्यप)	1. प्रदेश में 01 अगस्त 2015 से लागू ई - पंजीयन एवं ई - स्टाम्पिंग व्यवस्था में कमियों के कारण सेवा प्रदाताओं एवं पक्षकारों के समक्ष अनेक समस्या उत्पन्न होने से कमियों को दूर किया जाना। 2. पंजीयन में होने वाले विलंब के लिए कम्पनसेशन व्यवस्था लागू की जाना।	1. उसकी भी व्यवस्था करायेंगे। 2. इसको देख लेंगे।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय  
दिसम्बर,2015 सत्र में दिये गये आश्वासन

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

दिनांक: 14-12-2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1081	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.58 (प्रश्न क्रं.1300) दि. 14-12-2015 (श्री शैलेन्द्र जैन)	सागर में आई.टी. पार्क स्थापित किया जाना।	कलेक्टर जिला सागर द्वारा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**दिसम्बर,2015 सत्र में दिये गये आश्वासन**

सहकारिता विभाग

दिनांक: 14-12-2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1082	तारांकित प्रश्न सं.2 (प्रश्न क्रं.2053) दि. 14-12-2015 (श्री के. के. श्रीवास्तव)	(1) टीकमगढ़ जिले की बीज सहकारी संस्थाओं की जानकारी प्रश्नकर्ता मा. सदस्य को उपलब्ध कराई जाना। (2) उत्पादक बीज जांच में अमानक पाये जाने पर समिति की सदस्यता पंजीयन निरस्त किया जाना। (3) अमानक बीज प्रदाय करने वाली समितियों की जांच कराई जाना।	1. जो अमानक पाये गये होंगे उनकी सदस्यता, पंजीयन रद्द किया जायेगा। 2. उनका उत्पादक बीज अमानक पाया जायेगा, मैंने कहा कि उसको निरस्त करने का काम करेंगे। 3. अगर कोई समितियां होंगी तो उनकी भी जांच कराकर माननीय सदस्य के लिये अवगत करा दिया जायेगा, उनका पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा।		
1083	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.6 (प्रश्न क्रं.460) दि. 14-12-2015 (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय)	शहीद नरेन्द्र सिंह चन्द्रवत सहकारी समिति जावरा जिला रतलाम का परिसमापन समय-सीमा में किया जाना।	परिसमापन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।		
1084	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.17 (प्रश्न क्रं.621) दि. 14-12-2015 (श्री राजकुमार मेव)	(1) खरीगौन जिले की महेश्वर वि.स. क्षेत्र अन्तर्गत खरीफ वर्ष 2015 में फसल क्षति का आंकलन शीघ्र किया जाना। (2) अधिसूचित क्षेत्र के कृषकों का फसल बीमा नहीं करने के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों से बीमा क्लेम की राशि वसूल कर पीडित कृषकों को भुगतान किया जाना।	1. खरीफ वर्ष 2015 में फसल क्षति के आंकलन की कार्यवाही जिला प्रशासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है। 2. फसल क्षति की स्थिति में उन्हें बीमा क्लेम की राशि दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों से वसूल कर भुगतान करने के निर्देश दिये गये।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1085	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.46 (प्रश्न क्रं.1112) दि. 14-12-2015 (सुश्री हिना लिखीराम कावरे)	सहकारी समिति मर्यादित जिला बालाघाट के कर्मचारी श्री गुलाब सिंह क्षीरसागर द्वारा समिति के 13,60,405/- रुपये गबन की वसूली की जाना।	वसूली हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58(बी) के तहत कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।		
1086	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.47 (प्रश्न क्रं.1113) दि. 14-12-2015 (सुश्री हिना लिखीराम कावरे)	केन्द्रीय सहकारी बैंक बालाघाट के अन्तर्गत सोसायटियों से खराब बारदानों कि की गई खरीदी की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	खराब बारदानों के निरीक्षण हेतु समिति गठित की गई है। कार्रवाई समिति के प्रतिवेदन के निष्कर्षाधीन है।		
1087	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.71 (प्रश्न क्रं.1457) दि. 14-12-2015 (श्री कल सिंह भाबर)	झाबुआ जिले के आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था थान्दला, खवासा, कल्याणपुरा, मेघनगर एवं अन्य संस्थाओं में करोड़ों रुपये की राशि की हेराफेरी की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	जांच कार्यवाही संयुक्त आयुक्त, सहकारिता इंदौर संभाग, इंदौर के द्वारा गठित जांच दल द्वारा की जा रही है, शेष जांच निष्कर्षाधीन है।		
1088	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.114 (प्रश्न क्रं.1939) दि. 14-12-2015 (श्री बाला बच्चन)	(1) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक खरगौन में नियम विरुद्ध संविदा कर्मचारियों को नियमित किये जाने की जांच निष्कर्षों के आधार पर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना। (2) बैंक मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री नानकराम मण्डलोई द्वारा अपने पुत्रों की बैंक में की गई नियुक्ति की जांच एवं कार्यवाही की जाना।	1. बैंक के संचालक मंडल के विरुद्ध कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई। श्री बी.एस. अलावा, उप पंजीयक सहकारी संस्थायें, जिला खरगोन के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 2. बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री नानकराम मण्डलोई के विरुद्ध सहकारी अधिनियम की धारा 53-बी (2) के अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है।		
1089	अतारांकित प्रश्न सं.27 (प्रश्न क्रं.921) दि. 14-12-2015 (श्री मधु भगत)	हजरत निजामुद्दीन गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित भोपाल में अनियमितता के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	1. शासकीय सेवकों के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 49(5) अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 2. कार्यवाही के निर्देश उपायुक्त, भोपाल को दिये गये है।		
1090	अतारांकित प्रश्न सं.60 (प्रश्न क्रं.1317) दि. 14-12-2015 (श्री विश्वास सारंग)	म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49 (ई/ड.) के अन्तर्गत प्रदेश के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक में महाप्रबंधकों की नियुक्ति की कार्यवाही की जाना।	संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत नियम तथा संवर्ग सृजन करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		

(1)					
1091	<p>अतारांकित प्रश्न सं.89 (प्रश्न क्रं.1542) दि. 14-12-2015 (श्रीमती शीला त्यागी)</p>	<p>(1) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रीवा के महाप्रबंधक एवं अध्यक्ष द्वारा वर्ष 2013 से प्रश्न दिनांक तक वार्षिक भ्रमण पर पात्रता से अधिक राशि व्यय किये जाने की जांच एवं (2) तत्कालीन शाखा प्रबंधक डभौरा की पदस्थापना में की गई अनियमितता की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।</p>	<p>1. प्रश्नांश की जांच आदेशित की गयी है। शेष जांच निष्कर्षाधीन। 2. अध्यक्ष के दोषी होने अथवा न होने के संबंध में जांच आदेशित की गई है। शेष जांच निष्कर्षाधीन।</p>		